सैम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2016)

THE SAM HIGGINBOTTOM UNIVERSITY OF AGRICULTURE TECHNILOGY AND SCIENCES UTTAR PRADESH

(U.P. Act No. 35 of 2016)

सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2016]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत इक्यूमेनिकल माइनारिटी क्रिश्चियन सोसाइटी अर्थात सैम हिग्गिनबॉटम एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस, 4 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद–211007 द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), इलाहाबाद को उच्चीकृत एवं पुनर्गठित करने की दृष्टि से एक अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा निगमित करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) ''विद्या परिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य कुलाधिपति के मामले में संस्थापक सोसाइटी, कुलपति और प्रति कुलपतियों के मामले में कुलाधिपति और कुलसचिव, निदेशकों, वित्त नियंत्रक तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के मामले में कुलपति से है;

(ग) ''सहयुक्त महाविद्यालय'' का तात्पर्य उक्त विश्वविद्यालय की किसी डिग्री हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी संस्था से है;

(घ) ''संघ'' का तात्पर्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ से है;

(ङ) ''प्रबन्ध-बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-बोर्ड से है;

(च) ''पाठ्य-बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य-बोर्ड से है;

(छ) ''परिसर'' का तात्पर्य अनुदेश या शोध अथवा दोनों का प्रबंधन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;

(ज) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)', 'प्रति कुलपति (प्रशासन)' और 'कुलसचिव' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन) और कुलसचिव से है;

(झ) ''महाविद्यालय/विद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषाधिकारों के निमित्त अनुरक्षित या प्रवेश प्राप्त किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था से है, जिसमें सहयुक्त/घटक महाविद्यालय सम्मिलित हैं;

(ञ) ''घटक महाविद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित और परिनियमावली द्वारा इस रूप में नामित किसी संस्था से है;

(ट) ''परिषद'' का तात्पर्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा और भारतीय परिचर्या परिषद से है ;

(ठ) ''मानित विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी, विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इलाहाबाद से है, जिसे मानित विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है।

(ड) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं।

(ढ) विश्वविद्यालय के किसी संस्थान के सम्बंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य ऐसे संस्थान के अध्यक्ष से है।

(ण) ''निदेशालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विभिन्न निदेशालयों से है जिनके अध्यक्ष सम्बन्धित निदेशकगण हैं।

(त) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(थ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(द) ''वित्त नियंत्रक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है;

(ध) ''संस्थापक सोसाइटी'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाऊस, 4 एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से है जो विश्वविद्यालय के कार्यों सहित सोसाइटी के समस्त क्रियाकलापों का प्रबन्ध करने वाला शीर्ष निकाय है।

(न) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(प) ''हाल'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासीय या सामुदायिक जीवन की इकाई से है;

(फ) ''संस्था'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ब) किसी महाविद्यालय या संस्था के सम्बंध में ''प्रबंध समिति'' का तात्पर्य ऐसी प्रबंध समिति या ऐसे किसी अन्य निकाय, जिसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, से है और जिसे यथास्थिति ऐसे महाविद्यालय या संस्था के कार्यों के प्रबंधन हेतु प्रभारित किया गया हो और वह इस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(भ) ''अवचार'' का तात्पर्य ऐसे अवचार से है जैसा कि विहित किया जाय।

(म) ''अधिसूचना'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(य) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(कक) ''प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधान से है और जिसमें तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित है और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य से है;

(कख) ''अभिलेख और प्रकाशन'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(कग) ''कुलसचिव'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव से हैं;

(क.घ) ''सीनेट'' का तात्पर्य संस्थापक सोसाइटी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के सीनेट से है;

(कङ) ''परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली से है;

(कच) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के अधीन किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या सम्यक रूप से संस्थित अन्य शैक्षणिक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किसी व्यक्ति से है;

(कछ) ''अध्यापक'' का तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने अथवा अनुसंधान या प्रसार कार्यक्रम संचालित करने और तत्सम्बंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति से है;

(कज) ''कोषाध्यक्ष'', का तात्पर्य सोसाइटी/विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष से है;

(क.झ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से है;

(कञ) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे।

3–(1) उस दिनांक से, जिस दिनांक को राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन), कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, संस्थापक सोसाइटी, सीनेट, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद और ऐसे समस्त व्यक्ति या समिति जिन्हें ऐसे कार्यालयों में नियुक्त किया जाय अथवा ऐसे सदस्य जब तक वे अपना पद या सदस्यता धारण करें, सम्मिलित होंगे;

विश्वविद्यालय

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इस रूप में कार्य करने से प्रविरत हो जायेगा और उक्त मानित विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ एवं देनदारियां विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित माने जायेंगे।

(4) संस्थापक सोसाइटी ने मानित विश्वविद्यालय के लिए 667.27 एकड़ भूमि और पर्याप्त मात्रा में निर्मित भवन आवंटित किया है और ये सभी मानित विश्वविद्यालय के कब्जाधीन हैं जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर विश्वविद्यालय को अंतरित माने जायेंगे, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित है।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता

4–(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित के सिवाय या अन्यथा अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्रिश्चियन अल्पसंख्यक संस्था को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्बद्ध करने की शक्ति सहित क्षेत्रीय सीमा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

(2) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर स्थित किसी महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय से अनिवार्यतः सम्बद्ध नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय द्वारा केवल उसी महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी जो परिनियमावली एवं अध्यादेशों द्वारा सहमत हो।

(3) विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से सुसंगत उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के उद्‌देश्य से अपना शैक्षणिक केन्द्र/परिसर/विदेशी परिसर सम्बंधित सरकार, जहाँ वह स्थित हो, की सहमति से स्थापित कर सकता है।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

5–(1) ऐसे किन्हीं आदेशों, जैसा कि प्रबंध बोर्ड द्वारा संस्थापक सोसाइटी के अनुमोदन से किया जाय, के अध्यधीन संस्थापक सोसाइटी से सम्बंधित भवनों को उसी नाम और अभिनाम से निरन्तर जाना जायेगा और अभिहित किया जायेगा जैसा कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व जाने जाते थे और अभिहित किये जाते थे;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर और प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रत्येक पदाधिकारी– कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य), प्रति कुलपति (प्रशासन), कुलसचिव, निदेशकगण, वित्त नियंत्रक, तथा अन्य अधिकारी, अध्यापक एवं कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियोजित थे, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में उसी सेवाधृति के साथ और उसी निबंधन और शर्तों पर तथा उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ नियोजित रहेंगे जैसा वे सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) में नियोजित थे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा प्रदान किये जा रहे समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम इस अधिनियम के अधीन यथावत जारी रहेंगे।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा प्रवेश परीक्षा संचालन या कोई उपाधि या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान किये जाने सहित कृत किसी कार्य या कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गयी या प्रदत्त माना जायेगा मानो यह अधिनियम समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त रहा हो।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

6–(1) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को आरम्भ / निगमित किये जाने सम्बंधी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा। इस प्रकार की अधिसूचना पर विश्वविद्यालय को मानित विश्वविद्यालय की प्रास्थिति की मान्यता वापस लेने के लिए सम्बंधित प्राधिकरण को आवेदन करना होगा।

(2) राज्य सरकार इस संबंध में विश्वविद्यालय के आरम्भ/निगमन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, परिषदों, संघों एवं सभी सम्बन्धित सांविधिक निकाय, सरकार एवं संगठनों को परिपत्र जारी करेगी;

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7–विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे;

(एक) उत्तर प्रदेश के समग्ररूप में ग्रामीण और आम जनता के लिए विभिन्न अध्ययन शाखाओं, विशेष रूप से कृषि, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, पशु चिकित्सा, ग्रामीण उद्योग, व्यापार और अन्य सम्बद्ध शाखाओं में अध्ययन करने तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उपबंध करना;

(दो) समाज के समग्र विकास हेतु विशेष रूप से कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, क्रिश्चियन धर्मविद्या के माध्यम से धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सम्बंधी सुसंगत शाखाओं में अध्यापन तथा अनुसंधान के सम्वर्द्धन को अग्रसर करना;

(तीन) क्षेत्रीय एवं प्रसार कार्यक्रमों का दायित्व ग्रहण करना;

(चार) दूरस्थ शिक्षा/सतत शिक्षा/ ई–लर्निंग के माध्यम से शिक्षा में नवपरिवर्तन करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन और ज्ञानार्जन की नवीन पद्धतियां और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(पाँच) विभिन्न नवीन शाखाओं में अध्ययन संचालित करना;

(छः) संस्थापक के दर्शन ''भूखे को भोजन और पृथ्वी की सेवा'' के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन और निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के सम्वर्द्धन के लिए अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम संचालित करना;

(सात) अंतर्शाखा – अध्ययन संचालित करना और विद्या की ऐसी शाखाओं जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, अनुसंधान और प्रसार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करके ज्ञान का प्रसार और सम्वर्द्धन करना;

(आठ) राष्ट्रीय एकीकरण, भारतीय संस्कृति एवं भाषा और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना;

(नौ) समस्त आधुनिक, उच्च, व्यावसायिक, धार्मिक और अध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हुए क्रिश्चियन समुदाय को मुख्य धारा में लाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना;

विश्वविद्यालय सबके लिए होगा

8–(1) विश्वविद्यालय, इस धारा के उपखण्ड–2 के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए होगा वे चाहे वंश, धर्म, मत, जाति या वर्ग के हों;

(2) इस धारा में निहित कोई बात क्रिश्चियन अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति और छात्रों के प्रवेश तथा प्रशासन के लिए कोई विशेष उपबंध/आरक्षण की व्यवस्था करने से विश्वविद्यालय को नहीं रोकेगा जो 50 प्रतिशत से अनधिक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

9–विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होगी :–

(एक) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन की ऐसी शाखाओं में ऐसे अनुदेश का उपबंधन करना जैसा कि विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे और अनुसंधान और ज्ञान तथा कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार का उपबंध करना;

(दो) कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार, विज्ञान, अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी और सुसंगत सम्बद्ध शाखाओं के अलावा, अन्य शिक्षण शाखाओं में नया शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से अनापत्ति प्राप्त करना होगा और सम्बन्धित सांविधिक परिषदों की यथाप्रयोज्य अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(तीन) भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित करना;

(चार) क्रिश्चियन धर्म अध्ययन की व्यवस्था करने, क्रिश्चियन धर्मशास्त्र और धर्म में अनुदेश देने और नैतिक तथा अध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में क्रिश्यिचन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समुन्नति को प्रोत्साहित करना;

(पांच) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना और उपाधियां/अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(छः) परिनियमावली द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टियां प्रदान करना;

(सात) प्रौढ़ शिक्षा के प्रोन्नयन हेतु निवेश–वाह्य अध्ययन तथा प्रसार सेवायें आयोजित करना और उनका दायित्व ग्रहण करना और अन्य उपाय करना ;

(आठ) दूरस्थ शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित अनुदेश का उपबंध करना;

(नौ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षण संस्था से, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना या सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(दस) अनुसंधान एवं परामर्श के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ग्यारह) किसी संस्था में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को अनुदेश देने या अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने या दोनों के लिए विश्वविद्यालय को सहयोग देने उसके साथ कार्य करने या उससे सहयुक्त होने में अनुमोदन प्रदान करना और ऐसे अनुमोदन को वापस लेना;

(बारह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों और अनुसंधान तथा प्रसार सम्बंधी पदों का सृजन करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के आचार्य, सह आचार्य या सहायक आचार्य, प्राध्यापक तथा अन्य अध्यापकों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(चौदह) अभ्यागत प्राचार्य/वैज्ञानिक एवं सलाहकार के रूप में व्यक्तियों की उन निबंधनों पर नियुक्ति करना जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे।

(पन्द्रह) शैक्षणिक कृत्य करने के उद्देश्य से शैक्षणिक निकाय का गठन करना या नवीन शैक्षणिक संकायों की स्थापना करना और उन्हें यथा विहित रीति पारिश्रमिक संदाय करना।

(सोलह) निम्नलिखित पदधारकों की सेवाओं की निबंधन एवं शर्तों का उपबंध करना :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकगण और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य;

(ख) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य;

(ग) विश्वविद्यालय या किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारी;

(सत्रह) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नियमित आधार पर विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करना;

(अट्ठारह) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक और पारितोषिक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(उन्नीस) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(बीस) परिनियमावली के अनुसार यथास्थिति किसी संस्था, किसी महाविद्यालय, किसी विभाग या किसी विद्यालय को केन्द्र या स्वशासी केन्द्र घोषित करना;

(इक्कीस) सहयुक्तता के स्तर पर और सहयुक्तता की अवधि में महाविद्यालय तथा संस्थाओं में नियमित अंतराल पर अभ्यागत समितियाँ भेजने की व्यवस्था करना;

(बाईस) एक ही तथा समान क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन करना;

(तेईस) केन्द्रीय सुविधाएं यथा — कम्प्यूटर केन्द्र, लिखतकरण केन्द्र, पुस्तकालय इत्यादि की स्थापना करना;

(चौबीस) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापित करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारित करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु ऐसे मानक अवधारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन या कोई अन्य परीक्षण पद्धति सम्मिलित हो सकती हैं;

(सत्ताईस) शुल्क एवं अन्य प्रभारों की मांग करना एवं उनका भुगतान प्राप्त करना;

(अट्ठाईस) आवासीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों का अनुशासन विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के सम्वर्द्धन की व्यवस्था करना;

(उन्तीस) सभी महिला छात्राओं एवं क्रिश्चियन समुदाय की छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(तीस) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पदों पर नियुक्ति करना;

(इकतीस) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं के कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण को विनियमित करना;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित एवं प्रवर्तित करना तथा इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि उचित समझा जाय।

(तैतीस) सहयुक्त महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु आचरण संहिता विहित करना और सहयुक्तता हेतु समझौता ज्ञापन करना;

(चौतीस) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए प्रबंध करना;

(पैतीस) ऐसे व्यक्तियों से उपकृति, दान एवं उपहार प्राप्त करना तथा उनके नाम पर ऐसे पीठों, संस्थाओं, भवनों तथा तत्समान अन्य जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, का सृजन करना जिनका विश्वविद्यालय के प्रति उपहार या दान ऐसी धनराशि के बराबर होगी जैसा कि विश्वविद्यालय विनिश्चित करे;

(छत्तीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु संस्थापक सोसाइटी/सीनेट की पूर्वानुमति से विन्यास सम्पत्तियों सहित चल एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, धारित करना और उसका प्रबंध करना;

(सैतीस) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु सीनेट एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से धन उधार लेना;

(अड़तीस) छात्रों को पूरक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के उपायों को प्रारम्भ करना;

(उनतालीस) ''दूरस्थ शिक्षा'' एवं मुक्त उपागम के माध्यम से अनुदेश के लिए और अनौपचारिक (मुक्त शिक्षा) शाखा से औपचारिक शाखा की ओर तथा औपचारिक से अनौपचारिक शाखा की ओर गतिशील करने के लिए उपबंध करना;

(चालीस) अध्यापकों हेतु आचार संहिता, अन्य कर्मचारियों हेतु आचरण संहिता एवं छात्रों हेतु अनुशासन संहिता विहित करना; और

(इकतालीस) विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्देश्य/उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे समस्त कार्य और बात करना, जो आवश्यक आनुषंगिक या संचालनीय हो;

10–(एक) विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष राज्यपाल होंगे; **कुलाध्यक्ष**

(दो) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों (या किसी भी महाविद्यालय का) और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और उसके द्वारा कृत अन्य कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(तीन) कुलाध्यक्ष निरीक्षण कराये जाने हेतु अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को दे सकता है और विश्वविद्यालय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक होगा जिसे इस प्रकार के निरीक्षण में उपस्थित रहने या सुने जाने का अधिकार होगा।

(चार) कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगा और कुलपति तत्सम्बंध में कार्यवाही किये जाने हेतु कुलाध्यक्ष के दृष्टिकोण से प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगा।

(पांच) प्रबंध बोर्ड कृत कार्यवाही के सम्बंध में कुलाध्यक्ष को कुलपति के माध्यम से संसूचित करेगा।

(छः) यदि प्रबंध बोर्ड को कुलाध्यक्ष के किसी विनिश्चय के सम्बंध में असहमति हो तो वह समीक्षा हेतु कुलाध्यक्ष को अपील करेगा और समीक्षा अपील पर कुलाध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम होगा।

(सात) जहाँ कुलाध्यक्ष को प्राधिकरणों में व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किये जाने की शक्ति कुलपति को प्रदान की गयी हो, वहाँ कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिये विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट करना होगा तथा विभिन्न समितियों में कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशितियों को बैठक के परिणाम के सम्बंध में कुलाध्यक्ष को सूचित करना होगा।

11–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :– **विश्वविद्यालय के अधिकारी**

(क) कुलाध्यक्ष

(ख) कुलाधिपति

(ग) कुलपति

(घ) कोषाध्यक्ष

(ड.) प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)

(च) प्रति कुलपति (प्रशासन)

(छ) कुलसचिव

(ज) निदेशक (अनुसंधान)

(झ) निदेशक (प्रसार)

(ञ) निदेशक (अधिष्ठान एवं संपदा)

(ट) निदेशक (आंतरिक गुणवत्ता, निर्धारण एवं आश्वासन)

(ठ) निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श कार्य)

(ड) निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

(ढ) निदेशक (सहायक इकाई)

(ण) निदेशक (पौरोहित्य, मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्य)

(त) निदेशक (विधि मामले)

(थ) निदेशक (दूरस्थ शिक्षा)

(द) निदेशक (विकास)

(ध) निदेशक (मानव संसाधन प्रबंध एवं सम्पर्क)

(न) निदेशक (प्रशासन)

(प) निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन)

(फ) निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र)

(ब) निदेशक (कैम्पस मिनिस्ट्री)

(भ) वित्त नियंत्रक

(म) ऐसा अन्य अधिकारी जिसे परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाय।

कुलाधिपति

12–(एक) कुलाधिपति की नियुक्ति, संस्थापक सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से की जायेगी, जो अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा/होगी, तथा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा/करेगी और परिनियमावली द्वारा यथा विहित कृत्यों का निष्पादन करेगा/करेगी। कुलाधिपति पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा/करेगी और उसे संस्थापक सोसाइटी द्वारा दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा संस्थापक सोसाइटी/सीनेट को कुलाधिपति को संदत्त किये जाने वाले मानदेय/भत्तों का विनिश्चय करना होगा।

(दो) जहाँ कुलाधिपति को प्राधिकरणों में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई हो वहाँ कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेगा। कुलाधिपति समय–समय पर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करेंगे। विभिन्न समितियों में कुलाधिपति के नामनिर्देशिती, क्रमिक रूप में बैठकों के पश्चात अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।

कुलपति

13–(1)कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा/होगी और उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी। कुलपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सीनेट की संस्तुति पर प्रतिमानों के अनुसार यथाशक्य अनुमन्य आयु की अग्रतर अवधि तक के लिए नवीकरणीय होगा। सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र/ अस्वस्थता/ अवकाश या अन्य किसी कारण से कुलपति की अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा प्राधिकृत प्रतिकुलपति उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करेगा ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा ।

(3) यदि कुलपति की यह राय हो कि किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित हो तो वह परिनियमावली, नियमावली, विनियमावली/उपविधियों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है/सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकता/सकती है या ऐसी कार्यवाही करने के लिए अग्रतर हो सकता है/सकती है। ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से संबंधित प्राधिकारी को अवगत करायेगा/करायेगी :

परन्तु यदि उपधारा (3) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका तत्संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) कुलपति प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, विश्वविद्यालय वित्त समिति, नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड या अन्य किन्हीं उल्लिखित या अनुल्लिखित समितियों का अध्यक्ष होगा।

(5) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के परिनियमावली, अध्यादेशों, नियमों, उपविधियों और विनियमावली का सम्यक रूप से सम्प्रेक्षण किया जाय और लागू किया जाय और उसे इस संबंध में समस्त शक्तियां होंगी।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय अथवा अध्यादेशों में अधिकथित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) एतद्धीन यथा उल्लिखित रूप में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कुलपति की संस्तुति पर की जायेगी और वे कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जाने वाले निम्नलिखित विषयों में कुलपति की सहायता करेंगे :–

(क) प्रतिकुलपति (शैक्षणिक कार्य)

(ख) प्रतिकुलपति (प्रशासन)

(2) प्रतिकुलपतियों की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि सीनेट द्वारा विनिश्चित किया जाय।

कुल सचिव

15–(1)कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और जिसकी नियुक्ति सीनेट के पूर्वानुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी; तथापि कुलपति अंतरिम अवधि के लिए किसी पूर्णकालिक अध्यापक को कुलसचिव के रूप में भी नियुक्ति कर सकता है। व्यवसायिक विश्वविद्यालय होने के कारण, कुलसचिव का चयन प्रख्यात शिक्षाविदों/विद्याविदों में से किया जायेगा जो सह आचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो।

(2) कुलसचिव की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय ।

(3) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय के निदेशक

16–(1) चूंकि विश्वविद्यालय के त्रिस्तरीय कार्य हैं, अर्थात अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रसार इसलिये विश्वविद्यालय में निदेशकगण होंगे जो विश्वविद्यालय के सुगम कार्य संचालन में विशेष रूप से अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में कुलपति की सहायता करेंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन में कुलपति की सहायता करने हेतु निदेशक, दूरस्थ शिक्षा एवं अन्य निदेशकगण भी होंगे। निदेशकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी।

(2) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि परिनियमावली, विनियमावली द्वारा विहित किया जाय ।

वित्त नियंत्रक

17–वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा सीनेट के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और वह कुलपति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। वित्त नियंत्रक :–

(क) विश्वविद्यालय के वित्त व्यवस्था का प्रबंध करेगा;

(ख) कोषाध्यक्ष, वित्त समिति एवं प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु वार्षिक बजट, अनुमान एवं विवरण तैयार करेगा;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किया जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

18–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :–

(एक) सीनेट;

(दो) प्रबंध बोर्ड;

(तीन) विद्या परिषद;

(चार) विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(पाँच) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड;

(छः) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाय;

सीनेट

19–(1) विश्वविद्यालय की एक सीनेट गठित की जायेगी, उक्त सीनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक)	चेयरमैन, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद	– अध्यक्ष
(दो)	कुलाधिपति, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय	– उपाध्यक्ष
(तीन)	कुलपति, सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय	– सदस्य सचिव
(चार)	अध्यक्ष/बिशप या उसका नामनिर्देशिती, यीशु दरबार चर्च, इलाहाबाद	– सदस्य
(पाँच)	उपाध्यक्ष, यीशु दरबार ट्रस्ट	– सदस्य
(छः)	उपाध्यक्ष, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद	– सदस्य
(सात)	कार्यकारी सचिव, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद	– सदस्य

(आठ)	कोषाध्यक्ष, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद	–	सदस्य
(नौ)	महासचिव, यीशु दरबार चर्च	–	सदस्य
(दस)	कोषाध्यक्ष, यीशु दरबार चर्च	–	सदस्य
(ग्यारह)	अध्यक्ष, यीशु दरबार चर्च का एक नाम निर्देशिती	–	सदस्य
(बारह)	अध्यक्ष, सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी के दो नामनिर्देशिती	–	सदस्य
(तेरह)	कुलाधिपति के दो नामनिर्देशिती	–	सदस्य

(2) विश्वविद्यालय प्रबन्धन की समस्त शक्तियाँ सीनेट में निहित होंगी और कुलाधिपति, कुलपति, कोषाध्यक्ष, प्रति कुलपतियों, निदेशकों, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं अन्य मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। ऐसी नियुक्ति के लिए सीनेट, मानदेय/वेतन आदि के सम्बंध में विनिश्चय करेगा।

प्रबंध बोर्ड

20–(1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगी :–

(एक)	कुलपति	–	अध्यक्ष
(दो)	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती	–	सदस्य
(तीन)	सोसाइटी/विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष	–	सदस्य
(चार)	प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	–	सदस्य
(पाँच)	प्रति कुलपति (प्रशासन)	–	सदस्य
(छः)	कुलसचिव	–	सदस्य सचिव
(सात)	एक वर्ष की अवधि के लिये चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी एक संकाय का संकायाध्यक्ष (जिसमें संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण सम्मिलित है)	–	सदस्य
(आठ)	विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दो नामनिर्देशिती	–	सदस्यगण
(नौ)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिती	–	सदस्य
(दस)	भारत सरकार / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नामनिर्देशिती	–	सदस्य

(ग्यारह) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती	–	सदस्य
(बारह) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती	–	सदस्य
(तेरह) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद या नामनिर्देर्शिती	–	सदस्य
(चौदह) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर आचार्यों के मध्य से नाम निर्देशित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
(पन्द्रह) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव या नामनिर्देशिती	–	सदस्य
(सोलह) सीनेट के दो नामनिर्देशिती	–	सदस्यगण
(सत्रह) सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल सोसाइटी के तीन नामनिर्देशिती	–	सदस्यगण
(अठ्ारह) यीशु दरबार चर्च के दो प्रतिनिधि	–	सदस्यगण
(उन्नीस) निदेशक (अनुसंधान)	–	पदेन सदस्य
(बीस) निदेशक (प्रसार)	–	पदेन सदस्य
(इक्कीस) निदेशक (एच0आर0एम0 एण्ड आर0)	–	पदेन सदस्य
(बाईस) निदेशक (विश्वविद्यालय विकास)	–	पदेन सदस्य
(तेईस) निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन)	–	पदेन सदस्य
(चौबीस) निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	–	पदेन सदस्य
(पच्चीस) निदेशक (प्रशासन)	–	पदेन सदस्य
(छब्बीस) वित्त नियंत्रक	–	पदेन सदस्य
(सत्ताईस) कुलपति द्वारा वर्षानुवर्ष के आधार पर शेष निदेशकों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक निदेशक	–	पदेन सदस्य

(2) प्रबंध बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शाक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

विद्या परिषद

21–(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों का प्रभारी होगी और वह परिनियमावली एवं इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये और उपाधि तथा डिप्लोमा प्राप्त करने की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखेगी और तत्सम्बंधी विनियमन के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाय या सौंपा जाय।

(2) विद्या परिषद निम्नानुसार गठित होगी :–

(एक)	कुलपति	–	अध्यक्ष
(दो)	प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	–	सदस्य
(तीन)	प्रति कुलपति (प्रशासन)	–	सदस्य
(चार)	कुलसचिव	–	सचिव
(पाँच)	निदेशक (अनुसंधान)	–	सदस्य
(छः)	निदेशक (प्रसार)	–	सदस्य
(सात)	निदेशक (दूरस्थ शिक्षा)	–	सदस्य
(आठ)	निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	–	सदस्य
(नौ)	निदेशक (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)	–	सदस्य
(दस)	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का एक नामनिर्देशिती	–	सदस्य
(ग्यारह)	परिसरों के निदेशक	–	सदस्यगण
(बारह)	सकायों के संकायाध्यक्ष, विद्यालय/महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष	–	सदस्यगण
(तेरह)	विभागाध्यक्ष	–	सदस्यगण
(चौदह)	प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय से एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर विभागाध्यक्षों से भिन्न एक आचार्य और एक सह आचार्य	–	सदस्यगण
(पन्द्रह)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित तीन विशेषज्ञ	–	सदस्यगण
(सोलह)	विद्या परिषद द्वारा सहयोजित तीन सदस्य जो विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारीवृंद के सदस्य न हों	–	सदस्यगण
(सत्रह)	परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य

(3) विद्या परिषद का गठन एवं उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

वित्त समिति

22–(1)वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ एवं उसके कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय ।

(2) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) कुलपति	–	अध्यक्ष
(2) सोसाइटी / विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष	–	सदस्य सचिव
(3) प्रति कुलपति (शैक्षणिक कार्य)	–	सदस्य
(4) प्रति कुलपति (प्रशासन)	–	सदस्य
(5) कुलसचिव	–	सदस्य
(6) निदेशक (वित्तीय योजना एवं प्रबन्धन)	–	सदस्य
(7) वित्त नियंत्रक	–	सदस्य
(8) उप वित्त नियंत्रक	–	सदस्यगण
(9) सीनेट द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य	–	सदस्यगण
(10) निदेशक (विश्वविद्यालय विकास)	–	पदेन सदस्य
(11) निदेशक (अनुसंधान)	–	पदेन सदस्य
(12) निदेशक (प्रसार)	–	पदेन सदस्य
(13) निदेशक (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)	–	पदेन सदस्य
(14) निदेशक (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)	–	पदेन सदस्य
(15) निदेशक (प्रशासन)	–	पदेन सदस्य
(16) कुलपति द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्देशित किया जाने वाला एक निदेशक	–	पदेन सदस्य
(17) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव / सचिव या नामनिर्देशिती	–	पदेन सदस्य
(18) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, (भारत सरकार) का एक प्रतिनिधि	–	पदेन सदस्य

(19) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ– पदेन सदस्य

(20) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ – पदेन सदस्य

नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड

23–(1) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा और विश्वविद्यालय के विकास सम्बंधी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) नियोजन एवं अनुश्रवण बोर्ड का गठन, शक्तियां एवं कृत्य वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय ।

अन्य प्राधिकरण

24–ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाय, का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

संकाय की शैक्षणिक

25–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर और प्रारम्भ होने से पूर्ववर्ती सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के संकाय और विद्यमान शैक्षणिक कार्यक्रम निरन्तर उसी रूप में संचालित होते रहेंगे।

(2) विद्या परिषद और प्रबंध बोर्ड को कोई नया संकाय या विद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय या विभाग सृजित/स्थापित करने की शक्ति होगी।

विश्वविद्यालय के निदेशालय

26–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निदेशालय होंगे जिनके अध्यक्ष सम्बन्धित निदेशक होंगे :–

(एक) अनुसंधान निदेशालय

(दो) प्रसार शिक्षा निदेशालय

(तीन) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

(चार) बीज एवं प्रक्षेत्र निदेशालय

(पांच) निदेशालय (विकास)

(छः) निदेशालय (मानव संसाधन, प्रबंध एवं सम्पर्क)

(सात) निदेशालय (वित्तीय नियोजन एवं प्रबन्धन)

(आठ) निदेशालय (स्थापना एवं सम्पति)

(नौ) निदेशालय (कैम्पस मिनिस्ट्री)

(दस) निदेशालय (प्रशासन)

(ग्यारह) निदेशालय (आन्तरिक गुणवत्ता, मूल्यांकन एवं आश्वासन)

(बारह) निदेशालय (नवपरिवर्तन, परियोजना एवं परामर्श)

(तेरह) निदेशालय (अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

(चौदह) निदेशालय (सहायक इकाईयां)

(पन्द्रह) निदेशालय (पौरोहित्य, मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्य)

(सोलह) निदेशालय (विधिक मामले)

इस अधिनियम और परिनियमावली के अधीन अनुवर्ती रूप में सृजित किसी अन्य निदेशालय, सेवा, नियुक्ति, शक्तियों, कर्तव्यों आदि की समस्त शर्तें विहित की जायेंगी।

परिनियमावली से संबंधित अस्थायी उपबंध

27–विश्वविद्यालय के प्रारम्भ होने पर ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) का संविधान, उसकी उपविधियाँ एवं नियमावली यथा आवश्यक परिवर्तन सहित विश्वविद्यालय के लिए लागू होंगे, जब तक कि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड एवं सीनेट द्वारा संशोधित या विखण्डित न कर दिया जाय।

परिनियम

28–इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय और समय–समय पर गठित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के अन्य निकायों का संविधान, शक्तियां और कृत्य;

(ख) प्राधिकरणों के सदस्यों के पद का निर्वाचन, नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकरणों से सम्बन्धित समस्त अन्य मामले जिनके लिए यह उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों का पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति;

(च) पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबंध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ;

(छ) उपाधियों और डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों (सम्मानार्थ उपाधि) का प्रदान किया जाना;

(झ) संकायों, विभागों, केन्द्रों एवं विद्यालयों की स्थापना किया जाना, समामेलन किया जाना, उप–खण्ड किया जाना और उनका समापन किया जाना;

(ञ) संस्थानों, महाविद्यालयों, केन्द्रों के संकायों, में अध्यापन विभागों की स्थापना किया जाना तथा सहयुक्त महाविद्यालयों या संस्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(ट) निम्नलिखित पदाधिकारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें :–

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापक एवं शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के अन्य सदस्य।

(दो) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के अन्य सदस्य; और विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारीगण;

(ठ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थानों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ड) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा कोई अपील करने की प्रक्रिया;

(ढ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहनों का संस्थित किया जाना;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावासों की स्थापना करना और उसके द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों को समाप्त किया जाना;

(त) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(थ) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अधीन लाया जा सकता है और ऐसी शर्तें जिनके अधीन उक्त विशेषाधिकारों को वापस लिया जा सकता है;

(द) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जाना;

(ध) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतर्गत स्वीकृत महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के शासी निकायों का गठन किया जाना और ऐसे महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाना;

(न) जिस किसी महाविद्यालय अथवा संस्था को जिस स्वायत्तशासी सीमा तक स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित किया गया हो उस सीमा तक तत्सम्बन्ध में ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग किया जा सकता है;

(प) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(फ) अन्य सभी विषय जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंधित किया जाना हो या किया जा सकता है;

परिनियमावली बनाने की शक्ति

29–(1) प्रबन्ध बोर्ड उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमावली बनायेगा :

परंतु प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाली कोई परिनियमावली नहीं बनायेगा और न ही उसमें कोई संशोधन या निरसन करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और प्रबंध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर विचार न किया गया हो।

(2) प्रत्येक परिनियम पर कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो सहमति दे सकता है अथवा अपनी सहमति को रोक सकता है या इसे अपने द्वारा की गयी टिप्पणियों के आलोक में पुनर्विचार हेतु प्रबंध बोर्ड को प्रेषित कर सकता है।

(3) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम में संशोधन या निरसन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर कुलाधिपति की सहमति न प्राप्त हो जाय; परंतु यदि कुलाधिपति प्राप्त संदर्भ के 90 दिन के अन्तर्गत अपना विनिश्चय संसूचित नहीं करता/करती है तब उक्त मामले को सीधे सीनेट को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाया गया परिनियम उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को इसे कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाये अथवा ऐसे पश्चातवर्ती दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उसके द्वारा या सीनेट के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

अध्यादेश

30–इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किसी विषय का उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों और डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम;

(ग) ऐसी शर्तें जिनके अधीन विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा और वे उपाधियाँ तथा डिप्लोमा प्रदान किये जाने के लिए पात्र होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों में निवास हेतु शुल्क, उद्ग्रहीत किया जाना;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की मान्यता एवं प्रबन्धन;

(च) विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हों, जो महिला छात्रों के निवास, अनुशासन और अध्ययन के लिये किये जा सकते हैं और उनके लिये विशेष पाठ्यक्रम विहित किया जाना;

(छ) उन कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ जिनके लिये परिनियमावली में उपबंध किया गया हो;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का प्रबंधन;

(झ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थाओं के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ञ) किसी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाने वाला शुल्क;

(ट) ऐसी शर्तें, जिनके अध्यधीन व्यक्तियों को छात्रावासों में अनुदेश देने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया जा सकता है;

(ठ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तें और रीति;

(ड) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक;

(ढ) अनुदेश और परीक्षा संचालन का माध्यम;

(ण) अध्ययन केन्द्रों, अंतर्शाखीय अध्ययनों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(त) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिनमें विद्वत निकाय या संघ सम्मिलित हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(थ) विश्वविद्यालय के कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्तों सहित पारिश्रमिक और भत्ते;

(द) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों का विनियमन तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के छात्रों के आचरण का विनियमन;

(ध) अनाचार की श्रेणियां, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली या अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है; तथा

(न) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंधित किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जा सकता है;

प्रथम अध्यादेश

31–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) की उपविधियों को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के रूप में माना जायेगा और उन्हें किसी भी समय प्रबंध बोर्ड द्वारा निरसित या संशोधित किया जा सकता है तथा उनका सीनेट द्वारा यथाविहित रीति से अनुसमर्थन किया जा सकेगा;

विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या और उसकी प्रास्थिति के आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय की एक समतुल्य समिति होगी।

विनियम

32–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने तथा अपने द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन हेतु इस अधिनियम के अनुरूप परिनियमावली द्वारा विहित रीति से विनियम बना सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

33–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को यथाविहित दिनांक तक प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, सीनेट के समक्ष कुलाधिपति द्वारा अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

लेखा तथा सम्परीक्षा

34–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उसकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक के अन्तराल पर की जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों सहित सीनेट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा की गयी टिप्पणियों को सीनेट तथा प्रबंध बोर्ड के संज्ञान में लाया जायेगा और प्रबंध बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् की गयी टिप्पणियों, यदि कोई हो, को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

35–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी किसी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा और ऐसी संविदाएं इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों से असंगत नहीं होंगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा, विश्वविद्यालय में रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

माध्यस्थम अधिकरण

36–(1) विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के मध्य किसी संविदा से उठने वाला (विश्वविद्यालय में कार्य पर लगाने हेतु) कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) माध्यस्थम अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि विहित की जाय।

पेंशन या बीमा योजनाएं

37–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी बीमा/पेंशन योजनाएं, जैसा कि वह उचित समझे, यथाविहित रीति से और शर्तों के अध्यधीन उपबंधित कर सकता है।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन से सम्बन्धित विवाद

38–(1) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या क्या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, कुलाधिपति के विनिश्चय के तीस दिनों के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है और कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में से होने वाली समस्त आकस्मिक रिक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या निकाय, जो ऐसे सदस्यों को नियुक्त करता हो, निर्वाचित करता हो या उन्हें सहयोजित करता हो, जिनके स्थान रिक्त हुए हों, द्वारा सुविधाजनक रूप में यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा और किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति, ऐसी शेष अवधि के लिए, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए उक्त व्यक्ति, जिसका स्थान व भरता हो, सदस्य रहा हो।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी

40–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाहियां उसके सदस्यों के मध्य हुई किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगा/होंगी ।

सद्भावना पूर्वक कृतकार्यवाही का संरक्षण

41–इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपेक्षित होने पर सूचनाएं और दस्तावेज मांगे जाने का राज्य सरकार का अधिकार

42–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या विश्वविद्यालय के कब्जाधीन अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप में अनुरक्षित किसी पंजी, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, में की गयी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेजों और पंजी में की गयी प्रविष्टियों की विद्यमानता को प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अन्तर्विष्ट विषयों और व्यवहारों को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जाएगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य के रूप में ग्रहण होती।

(2) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय व्यवस्थाओं और अन्य कार्यकलापों से संबंधित सूचनाओं या अभिलेखों को राज्य सरकार द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करें।

(3) यदि राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण हो कि अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबंधनों का उल्लंघन होता है तो वह विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के न्यूनतम मानक

43–(1) विश्वविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी. /भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) तथा अन्य परिषदों द्वारा यथा अधिकथित उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के न्यूनतम मानक अनुरक्षित रखेगा।

(2) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यथा प्रयोज्य अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा संसूचित मानकों के अनुसार होंगे।

(3) शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसी विहित की जायं।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

44–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश को लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नये परिनियम या अध्यादेश को यथाशक्य शीघ्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तित किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

45–(1) विश्वविद्यालय दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को यथा विहित रीति से स्थायी विन्यास निधि का विनिधान करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय, सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित कर सकता है।

सामान्य निधि

46–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :–

(क) ऐसे समस्त शुल्क, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए;

(ख) किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) संस्थापक सोसाइटी द्वारा किए गए समस्त अंशदान और राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्राप्त समस्त अनुदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा इस निमित्त किये गये ऐसे समस्त अंशदान, जिन्हें तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के समस्त आवर्ती व्ययों के लिए किया जाएगा ।

विकास निधि

47–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :–

(क) विकास शुल्क जिन्हें छात्रों से प्रभारित किया जाय;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) संस्थापक सोसाइटी द्वारा किए गए समस्त अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा इस निमित्त किये गये ऐसे समस्त अंशदान, जिन्हें तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो;

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गई समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा अथवा जैसा कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा विनिश्चित किया जाय।

निधि का अनुरक्षण

48–धारा 45, 46 एवं 47 के अधीन स्थापित निधियाँ, सीनेट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होंगी और इन्हें ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

वित्तीय शर्तें

49–विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से मानित विश्वविद्यालय की भांति निरन्तर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त करता रहेगा। किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त करने पर इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि पूर्वोक्त अनुदान सम्बंधित सरकारों के प्राधिकारियों के विवेक के अध्यधीन होंगे।

राज्य सरकार की निधियों का उपयोग

50–विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त निधियों के लिए स्थानीय निधि (उत्तर प्रदेश सरकार) और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा से नियमित लेखा परीक्षा कराना होगा और उसे राज्य सरकार की नियमावली और दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोगिता पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क

51–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क शैक्षणिक कार्यक्रम की इकाई लागत के अनुसार होगा जैसा कि समय–समय पर पुनर्विलोकित, पुनरीक्षित और विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय का विघटन

52–(1) यदि विश्वविद्यालय, अपने संविधान या निगमन को शासित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो उसे योजना की सूची, दायित्व संविवरण एवं व्यवस्था का विवरण सहित लिखित नोटिस कम से कम छः माह पूर्व राज्य सरकार को देनी होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से विश्वविद्यालय के प्रशासन हेतु तब तक ऐसी व्यवस्था करेगी जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठयक्रमों के अंतिम बैच के छात्र अपना पाठ्यक्रम परिनियमावली/विनियमावली द्वारा यथा विहित रीति से पूर्ण नहीं कर लेते हैं।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

53–(1) विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय की पूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि तथा विकास निधि से की जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय के व्यय को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त न हो तो ऐसी व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

54–(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, तब वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम न हो, की अवधि में यह कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली एवं अध्यादेशों के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध और इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबंधों या तद्धीन निर्गत किसी निर्देश के उल्लंघन के अभिकथनों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ कहीं राज्य सरकार के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई जाँच संस्थित की जाय, वहाँ वह एक समुचित अधिसूचना जारी करके सीनेट को लम्बित किये बिना जांच की कार्यवाही करेगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, अर्थातः–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध किया गया है या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय की पूर्ति, स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट निधियां, पर्याप्त न हों तो ऐसे व्यय की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करते हुए की जा सकती हैं।

(8) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि उसे राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाय और राज्य विधानमण्डल के बहुमत से पारित कराया जाय।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश जारी करने की शक्ति

55–राज्य सरकार समय–समय पर जैसा कि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामले में निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों। ऐसे निदेशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

56–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकती है जैसा कि कठिनाईयों के निवारण के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

―――――

उद्देश्य और कारण

राज्य के विन्ध्य कृषि जलवायु जोन में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार को विकसित करने के उद्देश्य से इक्यूमेनिकल माइनारिटी क्रिश्चियन सोसाइटी सैम हिग्गिनबॉटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, हिग्गिनबॉटम हाउस–4, इलाहाबाद द्वारा सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) इलाहाबाद स्थापित एवं प्रशासित किया गया। उक्त मानित विश्वविद्यालय में शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद तथा अन्य आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात इसे राज्य अधिनियम के अधीन उच्चीकृत करने, पुनर्गठित करने और पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किये जाने का विनिश्चय किया गया है जिससे कि राज्य में कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं संबंधित विधाओं में उत्तरोत्तर विकास सुनिश्चित किया जा सके।

तदनुसार सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।